

1.2.24 वकील शर्मा अनुपस्थित। शर्मा स्वयं
अनुपस्थित। चूंकि शर्मा पर से संबंधित
मूल वाद का निस्तारण हो चुका है
इसलिए शर्मा पर 2/2 RTA (पत्रः
ही भौचित्महीन हो जाता है।

मतः शर्मा पर में दिनांक 27.7.23
को जारी अर्थात् निवेद्या का निस्तारण
करते हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर
पर स्वार्थ किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर वाद तत्कालीन
मूल वाद के संलग्न हो।

(स्वातिगुणा)

उपपंड अधिकारी एवं
पदेन महायुक्त कलेक्टर
दिल्ली

